क्रम संख्या–13 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 फरवरी, 2025 ई0

माघ 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या 83/I(2)/2025–05–107/2003

देहरादून, 06 फरवरी, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–59

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्

सचिव।

In pursuance of the Clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **83/I(2)/2024-05-107/2003,** Dehradun dated February 06, 2025 for general information:

No. 83/I(2)/2024-05-107/2003
Dated Dehradun, February 06, 2025

NOTIFICATION

Whereas, the State Government is satified that in the public interest it is necessary and expedient so to do,

Now therefore, the Governor, in excersise of the power under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act 1966, (as applicable to the State of Uttarakhand) hereby prohibits with immediate effect strike for six months from the date of publication of this order in ALL CATEGORIES OF STAFF OF UTTARAKHAND UTTARAKHAND JAL VIDHUT NIGAM LTD, UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD AND POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD, and under sub- section (2) of section-3 of the said Act directs that this order be published in gazette.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03/ऊर्जा/441–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।